कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / निजी / 2016–17 /   दिनांक : 02.11.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक / माध्यमिक–प्रथम)

विषय :– नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर विद्यार्थियो द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने एवं दिशा–निर्देश बाबत्।
प्रसंग :– अल्पसंख्यक मंत्रालय का पत्र दिनांक 31.10.16 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.10.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति) हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 30.10.16 से बढा कर 30.11.16 कर दी गई है। मंत्रालय द्वारा तिथी संशोधन अंतिम बार किया गया है इसके बाद तिथि संशोधन का कोई निवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।
2. आपके कार्यालय के अधीनस्थ समस्त राजकीय, गैर राजकीय, निजी विद्यालयों व मदरसों (माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग) को उनके यूजर आई–डी एवं पासवर्ड देने का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर ले। पोर्टल पर जो विद्यालय दिखाई नही दे रहे है उन विद्यालयों को Add करे।
3. विद्यार्थियों एवं अधीनस्थ विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को क्रमशः विद्यालय एवं जिला स्तर से Verification कर आगे Forword किये जाने है। प्राप्त प्रस्ताव अविलम्ब Forword करना प्रारम्भ कर देवे।
4. यदि जिले के किसी भी विद्यालय के छात्रवृति हेतु पात्र विद्यार्थियों (Fresh/Renew) के प्रस्ताव तकनीकी अथवा अन्य किसी कारण ऑनलाईन नही हो पा रहे है तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय इन्हे Online Bulk Upload करेगें।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र मे लिखित एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उक्त कार्य मे किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं देरी की जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी अतः उक्त निर्देशो की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करे।

02/11/16
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, जनजातिय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनरथ जि0शि0अ0 कार्यालयों को उक्त कार्यवाही शीघ्र करने हेतु पाबन्द करे।

02/11/16
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर